>

Title : Need to provide funds separately to State Governments instead of annual plan under centrally sponsored schemes.

श्री पूर्णमासी राम (गोपालगंज): महोदया, पिछले कुछ वर्षों से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। जिससे राज्यों को केंद्र द्वारा मिलने वाली वार्षिक योजना राशि में कमी होती जा रही है। इसके परिणामस्वरूप राज्यों को विकास कार्यों में बाधाएं आ रही हैं। ऐसी परिस्थिति में राज्यों को अपने मुताबिक विकास योजनाएं बनाने एवं उन्हें लागू करने का अधिकार होना चाहिए। यहां पर एक बात और काबिले गौर है कि केंद्र और राज्यों को संविधान में अलग-अलग कार्य सौंपे गये हैं। ऐसा देखा गया है कि केंद्र सरकार उन विषयों पर भी योजना बनाती है जो राज्य सूची में हैं। इससे राज्यों को अपने हिसाब से विकास की दिशा तय करने में कठिनाई होती है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्यों को मिलने वाली वार्षिक योजना राशि के बजाए अलग से राशि की व्यवस्था की जाए। साथ ही इन योजनाओं के लिए दी जाने वाली राशि सीधे राज्य सरकारों को दी जाए क्योंकि इन योजनाओं के कार्यान्वयन की जवाबदेही राज्य सरकारों की होती है। केंद्र उन्हीं विषयों पर योजना बनाए जो केंद्र सूची में हैं। धन्यवाद।

MADAM SPEAKER: Rest of the `Zero Hour' matters will be taken up at the end of the day. There will be no Lunch Hour.

MADAM SPEAKER: Now, Item No. 15 – Matters under Rule 377. Hon. Members, the Matters under Rule 377 shall be laid on the Table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them, may personally hand over slips at the Table of the House within 20 minutes. Only those matters shall be treated as laid for which slips have been received at the Table within the stipulated time and the rest will be treated as lapsed.

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदया, नियम 39, 40 और 41 का क्या हुआ? अतारांकित प्रश्न के उत्तर में अंग्रेजी के साथ हिन्दी प्रति नहीं दी जाती है, जबकि इसका नियम है।

अध्यक्ष महोदया : कल आपने इसे उठाया है। हम इसकी जांच कराकर, उसमें जो भी करने की आवश्यकता है, वह किया जाएगा।